

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झालावाड़

कमरा नं. 156, भूतल पर, मिनि सचिवालय, झालावाड़ — 326001

Email – ame.jhalawar@rajasthan.gov.in

Tel No. 07432-232414

क्रमांक : सख्त/झाला/निविदा/2021-22/3284

दिनांक : 14.07.2021

नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशन 02 / 2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग अभियान के दौरान जप्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें आमन्त्रित की जाती हैं, जिसका विवरण विभागीय वेब साइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रुपये 1000/- का डी.डी./बैंकर्स चैक “सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़” के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 27 जुलाई, 2021 (सांय 5:00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़ से प्राप्त किये जा सकते हैं।

संबंधित थाना क्षेत्रों में जप्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 27 जुलाई, 2021 (सांयकाल 5:00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2021 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी दिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।

भवदीय

21/07/2021
 (राजेन्द्र भट्ट)
 सहायक खनि अभियन्ता
 सहायक खनि अभियन्ता
 खन एवं भू-विज्ञान विभाग
 झालावाड़

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झालावाड़

कमरा नं. 156, भूतल पर, मिनि सचिवालय, झालावाड़ — 326001

Email – ame.jhalawar@rajasthan.gov.in

Tel No. 07432-232414

क्रमांक : सख्त/झाला/निविदा/2021-22/

दिनांक :

नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशन 02/2020

झालावाड़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरा जब्त शुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 27 जुलाई, 2021 (सायंकाल 5:00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़, कमरा नं. 156, भूतल पर, मिनि सचिवालय, झालावाड़ में आमन्त्रित की जाती हैं। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2021 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नं. 156 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

(बनास रेत/बजरी की न्यूनतम आरक्षित दर राशि 550/- रुपये प्रति टन)

क्र. सं.	स्थान का नाम जहां जप्त बजरी स्टॉक पड़ा हुआ है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बोली की अमानत राशि	न्यूनतम बोली राशि (रुपये)
1.	सुनेल से पिङावा रोड पर स्थित एस्सार पेट्रोल पम्प के पास, सुनेल	400.00	22000/-	220000/-
2.	पिङावा से नयापुरा बायपास रोड पर श्याम लाल पुत्र पुरी लाल, जाति माली, निवासी—पिङावा का स्टॉक	50.00	2750/-	27500/-
3.	पिङावा से सोयत रोड पर पेट्रोल पम्प के पास शफीक अली पुत्र मुश्ताक अली निवासी—पिङावा का स्टॉक	35.00	1925/-	19250/-
4.	पिङावा से सोयत रोड पर कृषि उपज मण्डी के पास प्रकाश माली का स्टॉक	100.00	5500/-	55000/-
5.	पिङावा से सोयत रोड पर मदरसे के सामने अहमद, निवासी पिङावा का स्टॉक	120.00	6600/-	66000/-
6.	पिङावा से मायाखेड़ी रोड पर स्थित धीसूलाला पुत्र लक्ष्मण सिंह धोबी निवासी—पिङावा का स्टॉक	50.00	2750/-	27500/-
7.	पिङावा से मायाखेड़ी रोड पर स्थित कमल पुत्र मोहन धोबी निवासी—पिङावा का स्टॉक	40.00	2200/-	22000/-

(स्थानीय नदी—नालों की काली रेत/बजरी की न्यूनतम आरक्षित दर राशि 400/- रुपये प्रति टन)

क्र. सं.	स्थान का नाम जहां जप्त बजरी स्टॉक पड़ा हुआ है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बोली की अमानत राशि	न्यूनतम बोली राशि (रुपये)
1.	खसरा नं. 650 निकटग्राम भीलवाड़ी, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़	350.00	14000/-	140000/-
2.	खसरा नं. 650 निकटग्राम भीलवाड़ी, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़	784.00	31360/-	313600/-
3.	खसरा नं. 1023/2 निकटग्राम भीलवाड़ी, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़	550.00	22000/-	220000/-
4.	खसरां नं. 315, निकटग्राम नेहरावद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़	150.00	6000/-	60000/-
5.	निकटग्राम रूपपुरा, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़	550.00	22000/-	220000/-
6.	निकटग्राम भीलवाड़ा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़	700.00	28000/-	280000/-
7.	निकटग्राम सरेड़ी खसरा नं. 106, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़	200.00	8000/-	80000/-
8.	निकटग्राम जगदीशपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़	60.00	2400/-	24000/-
9.	वार्ड नं. 1, 132 केवी पावर हाउस के पीछे, डग तहसील गंगधार, जिला झालावाड़	280.00	11200/-	112000/-
10.	निकटग्राम ताल, तहसील पिङावा, जिला झालावाड़	250.00	10000/-	100000/-

11.	निकटग्राम टापरिया, थाना दांगीपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़	200.00	8000/-	80000/-
12.	गोविन्दपुरा ग्राम पंचायत परिसर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़	390.00	15600/-	156000/-
13.	निकटग्राम भिलवाड़ा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़	1958.92	78357/-	783570/-
14.	खसरा नं. 421 निकटग्राम भिलवाडी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़	240.00	9600/-	96000/-

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेंगी –

- निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से थाना क्षेत्र का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, कमरा नं. 156, भूतल पर, भिनि सचिवालय, झालावाड़ पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 27 जुलाई, 2021 (सायंकाल 5:00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता झालावाड़ के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग—अलग थाना परिसर/पुलिस चौकी की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग—अलग ही संलग्न करने होंगे।
- निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
- जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में संबंधित थाना परिसर में की जा सकती है।
- जप्तशुदा बजरी थाना परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
- प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2021 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नं. 156 में खोली जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जायेगा। आदेश प्राप्ति के 03 कार्यदिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 05 एवं अधिकतम 06 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा राशि जब करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
- निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठानेकी कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यानामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निर्देशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
- निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
- उच्चतम निविदादात को बोली राशि के अलावा जीएसटी/टेक्स अतिरिक्त जमा कराना होगाग।
- नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय करने निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
- सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता झालावाड़ द्वारा वाहन के वनज क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
- सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 05 दिवस सहित अधिकतम 06 दिवस ही अनुमत होगा।
- 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
- तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सर्तकता) को WhatsApp पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

16. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची, क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारन/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी सिक सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहन को फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रयुक्त की जायेगी।
19. प्रत्येक स्टॉक को नियम समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
21. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(राजेन्द्र भट्ट)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
झालावाड़

दिनांक : 14.07.2021

क्रमांक : सखअ/झाला/निविदा/2021-22/ ३२८५-३३०३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. निदेशलय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर महोदय, जिला झालावाड़।
4. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) महोदय, कोटा-जोन कोटा।
5. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता महोदय, कोटा-वृत, कोटा।
6. श्रीमान खनि अभियन्ता महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजमंगमण्डी।
7. श्रीमान सहायक निदेशक महोदय, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय झालावाड़ को दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन जारी करने हेतु दी जा रही है।
8. थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झालावाड़/सुनेल/पिङ्गावा/पचपहाड़/भवानीमण्डी/झालरापाटन /मनोहरथाना/दांगीपुरा/डग/गंगधार।
9. कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।

१५/८/२०२१
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
झालावाड़